

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-38/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अद्वित्यमा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना का दिनांक-17.09.2020 से 23.07.2023 तक अध्ययन अवधि एवं दिनांक-21.05.2025 से 24.06.2025 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

i	दिनांक-17.09.2020 से 23.07.2023 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय पत्रांक-2045(2) दिनांक-30.11.2011)।
ii	दिनांक-21.05.2025 से 24.06.2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-38/2026- 2012(2) पटना, दिनांक 14/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० अद्वित्यमा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W/ann. 12/8/26
सरकार के उप सचिव।
R